न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मैन्यूअल प्रकरण संख्या	05/2020
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2020/00027
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	04.02.2020
प्रकरण में निर्णय की दिनांक	01.04.2021

उनवान

1.जगदीशचन्द्र पि.सोहनलाल ब्राह्मण नि.नई नगरी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा —प्रार्थी

बनाम

1.गोपाललाल पि.कल्याणमल ब्राह्मण नि.बनेड़ा हाल मु.प्रताप टॉकीज के सामने भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा
2.राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा —अप्रार्थीगण

उपस्थित - वकील प्रार्थी	(1) श्री पदमसिंह नेथा
उपस्थित -वकील अप्रार्थीगण	(1) पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

(1) प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA माध्यम अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने उक्त अनवान का एक वाद पत्र आप न्यायालय में बाबत् खातेदारी हक की घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया हुआ है जो जैर कार्यवाही है तथा जिसमे समय लगने की संभावना है जिसमें प्रार्थीगणों को अवश्यमेव सफलता प्राप्त होगी। वाद विचारण तक स्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
(2) यह है कि राजस्व ग्राम करजालिया पटवार हल्का करजालिया की सरहद में आ.नं.1418 रकबा 0.19 हैक्टर कृषि भूमि श्री चौथमल पि.नोला ब्राह्मण के नाम खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही थी
(3) उक्त खातेदार चौथमल के कोई जायन्दा औलाद नहीं होने से उन्होने अपने जीवनकाल में प्रार्थी के पक्ष में अन्तिम वसीयतनामा निष्पादित किया था। वसीयतकर्ता चौथमल की दिनांक 31.12.1990 को तथा उनकी पत्नि कस्तूरबाई की भी 31.01.1995 को मृत्यु हो जाने के पश्चात उनकी चल अचल सम्पति का अधिकारी उक्त वसीयत अनुसार प्रार्थी बन गया था।
(4) वसीयत कर्ता चौथमल पि.नोला के नाम ग्राम माण्डल व ब्रम्हपुरी में दर्ज कृषि भूमि उक्त वसीयनामे के आधार पर दर्ज रेकार्ड हो चुकी है किन्तु ग्राम करजालिया में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि आराजी नम्बर 1418 रकबा 0.19 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 1 की [illegible] कर्मचारियों से मिलाभगत करते हुये अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि वसीयत के मुताबिक उक्त वि[illegible] प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड की जाना न्यायसंगत थी।
(5) उक्त वादग्रस्त जायदाद पर वसीयत समय [illegible] निरन्तर प्रार्थी का चला [illegible] तथा उक्त नामान्तरण की जानकारी के पश्चात प्रार्थी द्वारा एक वाद [illegible] अन्तर्गत धारा 88,188 व [illegible] खातेदारी घोषणा बाबत् सहायक कलक्टर महोदय गुलाबपुरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि प्रकरण संख्या 174 /2006 के रूप में जैर कार्यवाही रहा तथा उक्त जायदाद पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी पारित हुआ। उक्त सभी तथ्यों की जानकारी विपक्षी को होते हुये भी उसके द्वारा नर्बदा देवी की मृत्यु हो जाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:11:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर(S.D.O.) आसीन्द

तथ्य को न्यायालय से छिपाकर उक्त जायदाद का नामान्तरण संख्या 847/17.02.2013 अपने पक्ष में निष्पा
करवा लिया जबकि उक्त समय प्रार्थी का पूर्व प्रार्थना पत्र जैर कार्यवाही होकर स्थगन आदेश प्रभावी था।
(6) उक्त नामान्तरण संख्या 847/17.02.2013 की प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा
समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी जिसे स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तरण खारिज कर दिया गया जिस
विपक्षी गोपाल द्वारा द्वितिय अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर में प्रस्तुत की गयी जिसके निर्णय में
नामान्तरण को विवादित करार कर लाल स्याही से नोट का आदेश दिया था।
(7) विपक्षी संख्या 01 व मृतक नर्बदा देवी द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् जिला कलक्टर भीलवाड़ा
समक्ष प्रार्थी के विरूद्द प्रस्तुत किया जो कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में की गयी वसीयत को
ठहराते हुये प्र.सं.101/2005 ई.दी.के रूप में खारिज कर दिया गया।
(8) मृतक नर्बदा देवी द्वारा वादग्रस्त आ.नं.ग्राम करजालिया 1418 में गलत रूप से खातेदार कायम होने
पश्चात ग्राम ब्रम्हपुरी व माण्डल की जायदाद में भी प्रार्थी के विरूद्द धारा 88 RTA का वाद पत्र पेश किया
न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2019 को खारिज कर दिया गया है।
(9) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि मूल वाद के निस्तारण तक बहक प्रार्थी विरूद्द विपक्षी संख्या 1 के अस्थ
निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति इस आशय की पारित फरमायी जावें की उक्त वर्णित भूमि को विपक्षीगण बेचान ,रहन
वसीयत आदि नहीं करें ,करावें ,राजस्व रेकार्ड एंव मौके की यथा स्थिति बनाये रखें ,अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द
(10) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गय
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की विधि
रूप से रूक-रूक कर आवाज लगवायी जाने पर वे बावजूद सूचना के उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके कि
एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये हुये है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये।
(11) वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी ग
वक्त बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि मूल वाद के निस्तारण त
अप्रार्थी संख्या 1 को बेचान,रहन,दान,वसीयत आदि नहीं करें करावें के लिये तथा राजस्व रेकार्ड /मौका की यथास्थि
बनाये रखने के लिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना फरमावें। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से पैरोक
सरकार ने उपस्थित न्यायालय होकर कथन किया कि प्रकरण में राज्य सरकार के औपचारिक पक्षकार होने से जब
दिया जाना अपेक्षित नहीं है।
(12) प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायलय के क्षैत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है
(13) पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन / अध्ययन किया जिससे जाहिर आया कि उक्त विवादित आराजिय
में प्रथम दृष्टया मामला अपूरणीय क्षति एंव सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने से प्रार्थी उपरोक्त आराजियात
सम्बन्ध में वाद के अन्तिम रूप से फैसला होने तक अस्थायी निषेधाज्ञा का अधिकारी पाया जाता है

क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को मूल वाद के निस्तारण तक निषेधाज्ञा से पाब
किया जाता है कि निम्न कृषि भूमि को बेचान, रहन, दान, वसीयत आदि नहीं करें ,करावें तथा राजस्व रेकार्ड
यथास्थिति बनाये रखें -

नाम ग्राम	आराजी	रकबा
करजालिया	1418	0.19

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें। निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 सरे इजलास सुनाया गया।

(सी.एल.शर्म
सहायक कलक्टर(S.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2021.01.13 13:11:50 IST
Reason: SelfAttested